रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 1988/कार्तिक 12, 1910
No. 235] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 1988/KARTIKA 12, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 70 आई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1988

विषय:--अप्रैल 1988--मार्च 1991, के लिए प्रक्रिया पुस्तक।

फा.सं.एव.बो./2/16/88-91 :--वाणिज्य मंत्रालय को यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 2 आई टी सी (पी एन)/88-91 दिनांक 30 मार्च, 1988 के अधीन प्रकाशित अप्रैल 1988--मार्च 1991 की प्रक्रिया पुस्तक की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे :--

| क्रम सं. | प्रक्रिया-पुस्तक 1988-91 की पृष्ठ सं. | संदर्भ | संशोधन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11 | अध्याय 2- सामान्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया—पैरा 87 के बाद | वर्तमान पैरे 87 के बाद नया पैरा 87-क जोड़ा जाएगा :-- . सहायक लाइसेंसिंग<br>87-क(1) किसी एक सीमाशुल्क सदन के विभिन्न अनुभागों के माध्यम से माल की निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी वर्तमान वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस के मद्दे सहायक लाइसेंस जारी करने के अनुरोध पर विचार करेंगे। सहायक लाइसेंस जारी करने के लिए अनुरोध उसी सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किया जा सकता है जिसने मुख्य लाइसेंस जारी किया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | (2) हवाई अड्डों पर माल की निकासी के लिए सहायक लाइसेंस हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के माध्यम से माल की निकासी के लिए सहायक लाइसेंस जारी करने के अनुरोधों पर भी विचार किया जाएगा।<br>(3) सहायक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र आवेदक को सहायक लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए:—<br>(एक) संभरक देश से माल के प्रेषण/पोतलदान के लिए सहायक लाइसेंस के आवेदन-पत्र काफी पहले प्रस्तुत किये जाने चाहिए। तथापि लाइसेंसिंग प्राधिकारी मुख्य लाइसेंस के समाप्त होने के बाद सहायक लाइसेंस देने के आवेदन पत्र पर विचार कर सकता है ताकि मुख्य लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर लदान किए गए माल की लाइसेंसधारी निकासी करने में समर्थ हो सके।<br>(दो) सहायक लाइसेंस देने की सुविधा तभी दी जाएगी जब कि मूल लाइसेंस का मूल्य 50 लाख रु. या अधिक हो। प्रत्येक सहायक लाइसेंस का मूल्य और इसके साथ ही साथ मुख्य लाइसेंस में शेष रहा मूल्य 10 लाख रु. से कम नहीं होगा।<br>(तीन) सहायक लाइसेंस की केवल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति ही जारी की जाएगी और सहायक लाइसेंस जारी करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी उसी पर पंजीकरण पत्तन को पृष्ठांकित करेगा। किसी भी हालत में सहायक लाइसस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी नहीं की जाएगी।<br>(चार) जहां सहायक लाइसेंस प्रदान किया जाए तो वह अंकित मूल्य के प्रतिबन्ध या मुख्य लाइसेंस के लिए लागू किन्हीं अन्य शर्तों के अधीन होगा। आयातकों के लिए छूट है कि वे अंकित मूल्य प्रतिबन्ध की अनुमेय सीमा में विशेषतया वैध मदों के लिए अलग से सहायक लाइसेंस के लिए आवेदन करें और प्राप्त करें। उन लाइसेंसों जिन पर प्रतिबन्धित अनुमेय मदों का मूल्य दर्शाया गया हो मुख्य या मूल लाइसेंस के मद्दे-गैर-प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए भी वैध होगा।<br>(पांच) सहायक लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ प्रत्येक सहायक लाइसेंस के लिए 100 रु. (केवल सौ रुपये) आवेदन-शुल्क की अदायगी की बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट लगा होना चाहिए।<br>(छः) सहायक लाइसेंस की वही वैध-अवधि होगी जोकि मुख्य लाइसेंस की है। पुनर्बैधकीकरण यदि कोई हो, मुख्य या मूल लाइसेंस के संबन्ध में मंजूर किया जाता है तो वह सहायक लाइसेंस पर भी लागू होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी की सुविधा के लिए सहायक लाइसेंस पर वैध अवधि को दर्शायेगा।<br>(सात) संदर्भ और जांच की सुविधा की दृष्टि से सहायक लाइसेंस पर मुख्य लाइसेंस की संख्या और तारीख पृष्ठांकित की जाएगी।<br>जब सहायक लाइसेंस जारी किया जायेगा तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी मुख्य लाइसेंस पर उपयुक्त पृष्ठांकन करेगा (सीमाशुल्क उद्देश्य के लिए प्रति) और इसे सहायक लाइसेंस के मूल्य/मदें की सीमा में इसे माल की निकासी के के लिए अवैध करेगा। |
| 2. | 153 | परिशिष्ट दो-ख- क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (उनके डाक और टेलीग्राफिक पतों सहित की सूची और उनके क्षेत्राधिकार। | क्रम सं. 8 के सामने कालम नं. 2 में मौजूदा प्रविष्टि को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :--<br>"उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, लता कम्प्लेक्स, (प्रथम तल) 5-8-196 से 207 (बी) नेमपल्ली-हैदराबाद- 500001 |
| 3. | 177 | परिशिष्ट दो (द) प्रायोजित प्राधिकारियों की सूची | क्रम सं. 5 के सामने कालम 2 में उद्योग की मौजूदा प्रविष्टि को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :--<br>"कोल लिग्नाइट और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड" |

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए जाते हैं।

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 70—ITC(PN)/88-91

New Delhi, the 3rd November, 1988

Subject:—Hand Book of Procedures for April, 1988—March, 1991.

F. No. HB/2/16/88-91:—Attention is invited to the Hand Book of Procedures for April 1988—March 1991 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/88-91 dated the 30th March, 1988, as amended.

2. The following corrections/amendments shall be made in the said book at appropriate places indicated below:—

| Sl. No. | Page No. of Hand Book of Procedures, 1988-91 | Reference | Corrections/Amendments. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 11 | CHAPTER II<br>General Licensing Procedure—after Para 87. | After the existing para 87, the following new para 87A shall be added:-<br>Subsidiary Licences.<br>87A. (1) In order to facilitate the clearance of goods through different sections of the same Customs House, the licensing authorities will consider requests for the issue of subsidiary licences against an existing Actual User licence. The requests for issue of subsidiary licence can be made only to the licensing Authority concerned, who issued the main licence.<br>(2) Subsidiary licences for clearance of goods at air ports—Requests for issue of Subsidiary licences will also be considered for the clearance of goods through the Customs authorities at the airports.<br>(3) Applications for subsidiary licences—The following points should be borne in mind by the applicant while applying for subsidiary licences:—<br>(i) Applications for subsidiary licences should be made sufficiently in advance of the despatch/shipment of goods from the supplying country. A licensing authority may, however, consider an application for the grant of a subsidiary licence after the expiry of the main licence only to enable the licences to clear goods shipped within the validity period of the main licence.<br>(ii) The facility of the grant of subsidiary licences will be given only when the value of the original licence is for Rs. 50 lakhs or above. The value of each subsidiary licence as well as the value left over in the main licence shall not be for less than Rs. 10 lakhs.<br>(iii) Only Customs purpose copies of the subsidiary licence will be issued and the licensing authority, while issuing the subsidiary licence, will endorse the Port of Registration on the same. Under the no circumstances Exchange Control copy of the subsidiary licence will be issued.<br>(iv) Subsidiary licences, where granted, will be subject to face value restrictions or any other conditions applicable to the main licence. It is open to the importers to apply for and obtain separate subsidiary licence specifically valid for the items with face value restrictions |